

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 414 / 2025

1. गुरचरण सिंह पुत्र श्री सुखा सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. प्रीत सिंह पुत्र श्री सुखा सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

- बनाम्
1. सुखा सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 2. किरणा पुत्री श्री सुखा सिंह पत्नी श्री तरसेम सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 3. चरणजीत कौर पुत्री श्री सुखा सिंह पत्नी श्री सोहन सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिये जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 बी.जी.पी. के खाता सं. 25/44 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.866 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम फलमजन करने तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 45/41 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में दर्ज 1.1665 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.9135 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.8.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया